

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठाधीन अधिकारी श्री सी. एल. शर्मा, आर. प्रथम
मुकदमा संख्या

70
श्री मोहन सिंह 510 श्रीम. सिंह वापर नि. 0 अर्बन एकेड, तह. मांडल प्राथी

श्री श्रीम. सिंह 510 लुम्णा सिंह वापर नि. 0 अर्बन एकेड, तह. मांडल. कौमठा विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. 0 गू. 0 रा. 0 अधि. 0 1956

आदेश : दिनांक- 10-4-2018

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. 0 गू. 0 रा. 0 अधि. 0 1956 के तहत प्रस्तुत कर विवेचन किया कि ग्राम अर्बन एकेड पटवार हल्का करिया तहसील मांडल/करेडा में कराक खाते / संयुक्त खातों की आराजी 32, 40, 41/1, 68, 69, 126, कुल किताने 374 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमे प्राथी अपने खाते/संयुक्त खात की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.3.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रचरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हरा-फैरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्या को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आचदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य हैं।

आदेश :

प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लण्ड रेनेन् एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अर्बन एकेड पटवार हल्का करिया तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर 3 परेक्काठुसा अंकेत कुल किताने 7 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण अलगास को 600/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेडा को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर निगमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा